आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या :— 14/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व ए.यू. फाईनेंसर इण्डिया लिमिटेड), पंजीकृत कार्यालय : 19—ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती कीर्ति महर्षि पत्नी श्री मुकेश महर्षि,
   पता :— 324, जयपुरिया का बांध, महर्षि फार्म हाऊस, सिरसी रोड़, जिला जयपुर।
2. सन्दीपाणी आश्रम शिक्षा समिति जरिये श्री श्याम लाल यादव (सेक्रेट्री),
   पता :— 164, मेहता की ढ़ाणी, सिरसी रोड़, वार्ड नं. 2, जयपुर बिन्दायका रोड़, जिला जयपुर।
3. श्री श्याम लाल यादव पुत्र श्री हनुमान सहाय यादव,
   पता :— 164, मेहता की ढ़ाणी, सिरसी रोड़, वार्ड नं. 2, माहेश्वरी स्कूल के पास, जयपुर बिन्दायका रोड़, जिला जयपुर।
4. महर्षि विद्यापीठ सिरसी जरिये श्री मुकेश महर्षि,
   पता :— महर्षि फार्म हाऊस, सिरसी रोड़, जिला जयपुर।
5. श्री मुकेश महर्षि पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा,
   पता :— 324, जयपुरिया का बांध, महर्षि फार्म हाऊस, सिरसी रोड़, जिला जयपुर।
6. श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री छोटे लाल,
   पता :— 33, जयपुरिया का बांध, महर्षि फार्म हाऊस, सिरसी रोड़, जिला जयपुर।
7. श्री मनमोहन शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा,
   पता :— 324, जयपुरिया का बांध, महर्षि फार्म हाऊस, सिरसी रोड़, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002.

उपस्थित :— श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांकः 20.02.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09-11-2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सन्दीपाणी आश्रम शिक्षा समिति, जयपुर के स्वामित्व की सम्पत्ति खसरा संख्या 351/2, ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर, क्षेत्रफल 3162.50 वर्गमीटर(01बीघा 05 बिस्वा) को बन्धक रख कर 80,00,000/—रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.09.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 80,00,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 92,86,521/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.09.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया है और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सन्दीपाणी आश्रम शिक्षा समिति, जयपुर के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति खसरा संख्या 351/2, ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर, क्षेत्रफल 3162.50 वर्गमीटर(01बीघा 05 बिस्वा) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 20.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)